



Maharana Mewar Public School, City Palace, Udaipur

Hostel Rules & Regulations for Hostellers and Parents (For Strict Compliance)

Dear Parents & Hostellers,

In order to maintain discipline, safety, and a conducive environment for learning and personal growth, the following Hostel Rules & Regulations are to be observed strictly by all residents and their guardians. These rules are mandatory and any violation will invite disciplinary action, including suspension or expulsion from the hostel.

1. Discipline & Conduct

- ✓ Every hosteller must maintain exemplary behaviour, both inside and outside the campus.
- ✓ Disrespect towards staff, fellow students, or any form of misconduct will not be tolerated.
- ✓ Hair cut of hostellers will be done in the hostel by a designated barber
- ✓ Hostel routine chart/time table is an integral part of hostel decorum as such any breach of the same will be considered misconduct.
- ✓ Ragging in any form is strictly prohibited and will lead to immediate expulsion as per law.

2. Attendance & Roll Call

- ✓ Hostellers must be present in their allotted rooms during roll call at designated times.
- ✓ Leaving the hostel premises without prior written permission from the Hostel Warden is strictly prohibited.

3. Visiting & Communication

- ✓ Parents may meet their wards max. once in a month in the guest room only. Students can contact their parents max. once in a month if they are unable to receive the calls from their parents.
- ✓ Local guardians will be allowed to meet the respective ward only once in a month . But the hosteller will not be permitted to visit the residence of the local guardians in any case.

- ✓ No outsider is allowed to stay in the hostel without written approval from the Hon. Director.
- ✓ Mobile phones, if allowed, must be used responsibly and only within permitted timings.

4. Leave Protocol

- ✓ No student is permitted to leave the hostel during the academic term without prior written permission from both parents and the school authorities.
- ✓ Emergency leave will be granted only after verification by the Hostel Warden and approval by the Hon. Director.

5. Cleanliness & Property Care

- ✓ Students are responsible for maintaining cleanliness in their rooms and common areas.
- ✓ Any damage to hostel property will be charged to the concerned student(s) along with disciplinary action.

6. Prohibited Items & Activities

- ✓ Smoking, consumption of alcohol, drugs, or possession of any prohibited items is strictly forbidden.
- ✓ Possession of weapons, sharp objects, or any unsafe items is strictly banned.

7. Meals & Mess Etiquette

- ✓ Meals must be taken in the dining hall during designated timings.
- ✓ Wastage of food is discouraged; students must maintain proper decorum during meals.
- ✓ Food parcels are not allowed.

8. Health & Medical Care

- ✓ Students must promptly report any illness to the Hostel Warden.
- ✓ Parents must inform the school of any pre-existing medical condition in writing.

9. Rules for outings

- ✓ Weak students recommended for tuitions must attend the tuition classes to be paid for by them.
- ✓ Regular outing for the purpose of tuitions will be allowed.
- ✓ On producing a letter of acknowledgment by the said institute/person-of the fact that the student is attending his classes, describing the address, contact no and other related details or affidavit by parents.

- ✓ The tuition master shall also take the responsibility of informing the hostel warden in case the student doesn't reach the place in time.
- ✓ Students desirous of availing tuition outing shall wear school uniform/ uniform prescribed by school authority or hostel T-shirt.
- ✓ In case of any anomaly found in this regard, the benefit shall be revoked.

10. Items Required

- ✓ All hostellers are required to bring/have the following at the time of joining the session.
- ✓ Three pairs of kurta pyjama (white).
- ✓ Four knee length shorts.
- ✓ 1 pair each of school shoes, sports shoes, canvas shoes, sandals, slippers.
- ✓ 2 set of school uniform.
- ✓ 2 colored dresses.
- ✓ 1 bucket , mug ,toilet soap ,washing bar ,toothbrush ,tooth paste ,hair oil ,comb ,mirror etc.
- ✓ Towel, quilt/blanket.
- ✓ Stationery.

Note to Parents:

Your cooperation is vital in ensuring discipline and the overall well-being of your ward. Kindly guide your child to follow these rules diligently. Any repeated violation will compel the school to take strict action in the interest of the hostel community.

By Order

Hon. Director

Maharana Mewar Public School

City Palace, Udaipur



महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, सिटी पैलेस, उदयपुर

छात्रावास में रहने वालों और अभिभावकों के लिए छात्रावास के नियम और विनियमन
(सख्ती से पालन हेतु)

प्रिय अभिभावकगण और छात्रावासवासी,

अनुशासन, सुरक्षा और सीखने व व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने हेतु, सभी निवासियों और उनके अभिभावकों को निम्नलिखित छात्रावास नियमों और विनियमनों का कड़ाई से पालन करना होगा। ये नियम अनिवार्य हैं और इनका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निलंबन या निष्कासन भी शामिल है।

1. अनुशासन और आचरण

- ✓ प्रत्येक छात्रावासवासी को परिसर के अंदर और बाहर आदर्श आचरण बनाए रखना होगा।
- ✓ कर्मचारियों, सहपाठियों के प्रति अनादर या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- ✓ छात्रावासवासियों के बाल छात्रावास में ही एक नियुक्त नाई द्वारा काटे जाएंगे।
- ✓ छात्रावास का नियमित चार्ट/समय सारणी छात्रावास की मर्यादा का एक अभिन्न अंग है इसलिए इसका कोई भी उल्लंघन कदाचार माना जाएगा।
- ✓ किसी भी प्रकार की रैगिंग सख्त वर्जित है और कानून के अनुसार तत्काल निष्कासन का कारण बनेगी।

2. उपस्थिति और हाजिरी

- ✓ छात्रावासियों को निर्धारित समय पर उपस्थिति के दौरान अपने आवंटित कमरों में उपस्थित रहना होगा।
- ✓ छात्रावास वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रावास परिसर छोड़ना सख्त वर्जित है।

3. मुलाकात और संचार

- ✓ अभिभावक अपने वार्ड से महीने में अधिकतम एक बार अतिथि कक्ष में ही मिल सकते हैं। यदि छात्र अपने अभिभावकों से कॉल प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे महीने में अधिकतम एक बार अपने अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं।

- ✓ स्थानीय अभिभावकों को संबंधित वार्ड से महीने में केवल एक बार मिलने की अनुमति होगी। लेकिन छात्रावास में रहने वाले छात्र को किसी भी स्थिति में स्थानीय अभिभावकों के निवास पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- ✓ माननीय निदेशक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है।
- ✓ यदि मोबाइल फोन की अनुमति है, तो उसका उपयोग जिम्मेदारी से और केवल अनुमत समय के भीतर ही किया जाना चाहिए।

4. अवकाश प्रोटोकॉल

- ✓ किसी भी छात्र को शैक्षणिक सत्र के दौरान मातापिता और स्कूल प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं है।
- ✓ आपातकालीन अवकाश केवल छात्रावास वार्डन द्वारा सत्यापन और माननीय निदेशक द्वारा अनुमोदन के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

5. सफ़ाई और संपत्ति की देखभाल

- ✓ छात्र अपने कमरों और सामान्य क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
- ✓ छात्रावास की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान होने पर संबंधित छात्रछात्राओं से जुर्माना वसूला जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

6. निषिद्ध वस्तुएँ और गतिविधियाँ

- ✓ धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं का सेवन, या किसी भी निषिद्ध वस्तु को अपने पास रखना सख्त मना है।
- ✓ हथियार, नुकीली वस्तु या किसी भी असुरक्षित वस्तु को अपने पास रखना सख्त मना है।

7. भोजन और मेस शिष्टाचार

- ✓ भोजन निर्धारित समय पर भोजन कक्ष में ही किया जाना चाहिए।
- ✓ भोजन की बर्बादी को हतोत्साहित किया जाता है छात्रों को भोजन के दौरान उचित शिष्टाचार शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए।
- ✓ भोजन के पैकेट ले जाने की अनुमति नहीं है।

8. स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल

- ✓ छात्रों को किसी भी बीमारी की सूचना तुरंत हॉस्टल वार्डन को देनी होगी।
- ✓ अभिभावकों को किसी भी पूर्वमौजूदा चिकित्सा स्थिति के बारे में स्कूल को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

9. सैर-सपाटे के नियम

- ✓ ट्यूशन के लिए अनुशंसित कमजोर छात्रों को ट्यूशन कक्षाओं में उपस्थित होना होगा जिसका शुल्क उन्हें स्वयं देना होगा।
- ✓ ट्यूशन के उद्देश्य से नियमित सैरसपाटे की अनुमति होगी।
- ✓ उक्त संस्थान/व्यक्ति द्वारा इस बात की पावती पत्र प्रस्तुत करने पर कि छात्र अपनी कक्षाओं कक्षाओं में उपस्थित हो रहा है, जिसमें पता, संपर्क क्रमांक और अन्य संबंधित विवरण या अभिभावकों द्वारा शपथ-पत्र शामिल हो।
- ✓ यदि छात्र समय पर नहीं पहुँचता है तो ट्यूशन मास्टर छात्रावास वार्डन को सूचित करने की जिम्मेदारी भी लेगा।
- ✓ ट्यूशन सैर-सपाटे का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म विद्यालय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म या छात्रावास की टीशर्ट पहननी होगी।
- ✓ इस संबंध में किसी भी विसंगति के पाए जाने पर लाभ रद्द कर दिया जाएगा।

10. आवश्यक वस्तुएँ

- ✓ सभी छात्रावासियों को सत्र में शामिल होने के समय निम्नलिखित वस्तुएँ साथ लानी होंगी।
- ✓ तीन जोड़ी कुर्ता-पजामा (सफ़ेद)।
- ✓ चार घुटने तक की शॉर्ट्स।
- ✓ स्कूल के जूते, स्पोर्ट्स शूज, कैनवास शूज, सैंडल और चप्पलों में से प्रत्येक की 1 जोड़ी।
- ✓ स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट।
- ✓ 2 रंगीन ड्रेस।
- ✓ 1 बाल्टी, मग, टॉयलेट सोप, वॉशिंग बार, दूधब्रश, दूधपेस्ट, हेयर ऑयल, कंघी, आईना आदि।
- ✓ तौलिया, रजाई/कंबल।
- ✓ स्टेशनरी।

अभिभावकों के लिए नोट

आपके बच्चे के अनुशासन और समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने बच्चे को इन नियमों का पूरी लगनसे पालन करने के लिए प्रेरित करें। बार-बार उल्लंघन करने पर विद्यालय छात्रावास समुदाय के हित में सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

आदेश द्वारा

मानद निदेशक

महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल

सिटी पैलेस, उदयपुर